

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

राजस्व वाद संख्या :- 98/2025

1. ओमप्रकाश | पिसरान नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन काहनेवाला
2. देवप्रकाश | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

ब नाम

1. नत्थूराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल साकिन काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कृष्णा देवी पुत्री नत्थूराम पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सावित्री पुत्री नत्थूराम पत्नी अमरचन्द जाति मेघवाल साकिन हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. निर्मला पुत्री नत्थूराम पत्नी भजनलाल जाति मेघवाल साकिन हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन एवं घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 07/08/2025

वादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

चक 31 जेआरके के खाता सं. 32/28 के प.नं. 7/247 (18) किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 23, 24, 25/1, 25/2, प.नं. 8/248 (19) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 की कुल 3.795 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घाट वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



कस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/08/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(~~सहायक~~ कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा)
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

